



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244015
CG-DL-E-01032023-244015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944

No. 912]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

का.आ. 949(अ).—यतः मै. चैयर एसईजेड डबलपर्स प्रा. लि. ने तमिलनाडु राज्य के सिपकोट औद्योगिक विकास केन्द्र वरगुर, उथनगरई एवं पोचामपल्ली, कृष्णाकगिरी जिले में फुटवेयर के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1298(अ) दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 59.40 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. चैयर एसईजेड डबलपर्स प्रा. लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 34.8280 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया है और दिनांक 15 फरवरी, 2023 को अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 34.8280 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित

करती है, जिसके परिमाणतः उक्त विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्रफल 94.2280 हेक्टेयर हो जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्र हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	एस. एफ. सं.	सब-डिवीज़न सं.	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	बालेयोत्तम	726 भाग	--	14.8933
2.	ओलाईपट्टी	31/ भाग	--	0.2512
3.		32	1 भाग	0.9712
4.			2 भाग	0.4698
5.			3 भाग	0.2462
6.		1/ भाग	--	0.0637
7.		4	3 भाग	0.2158
8.			4 भाग	0.8618
9.		5	1 भाग	0.1730
10.			2 भाग	0.5958
11.			3 भाग	0.5370
12.			4 भाग	0.5070
13.		6	1	0.3600
14.			2	0.2450
15.			3	2.0250
16.		7	1 भाग	0.1533
17.			2 भाग	2.4410
18.			3 भाग	0.6068
19.		8/1	--	2.7296
20.		9	1	0.5450
21.			2	2.0050
22.			3	1.9850
23.		10	2 भाग	1.5202
24.		24	1 भाग	0.0448
25.		25	2 वी भाग	0.3815
कुल				34.8280
उपयुक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				94.2280

[फा. सं. एफ. 1/5/2015-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

S.O. 949(E).—Whereas, M/s. Cheyyar SEZ Developers Pvt. Ltd. had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Footwear sector at SIPCOT Industrial Growth Centre, Bargur, Uthangarai and Pochampalli Taluk, Krishnagiri District, in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 59.40 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1298(E) dated 30th March, 2016;

AND, WHEREAS, M/s. Cheyyar SEZ Developers Pvt. Ltd. has now proposed for addition area of 34.8280 hectares area as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 15th February, 2023

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 34.8280 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 94.2280 hectares, comprising the survey number and the area given below in the table, namely: -

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

Sl. No.	Name of Location	S. F. No.	Sub Division No.	Total area (in Hectares)
1.	Balethottama	726 part	--	14.8933
2.	Olaipatti	31/part	--	0.2512
3.		32	1 part	0.9712
4.			2 part	0.4698
5.			3 part	0.2462
6.		1/part	--	0.0637
7.		4	3 part	0.2158
8.			4 part	0.8618
9.		5	1 part	0.1730
10.			2 part	0.5958
11.			3 part	0.5370
12.			4 part	0.5070
13.		6	1	0.3600
14.			2	0.2450
15.			3	2.0250
16.		7	1 part	0.1533
17.			2 part	2.4410
18.			3 part	0.6068
19.		8/1	--	2.7296
20.		9	1	0.5450
21.			2	2.0050
22.			3	1.9850
23.		10	2 part	1.5202
24.		24	1 part	0.0448
25.		25	2B part	0.3815
Total				34.8280
Grand Total Area of SEZ after above addition				94.2280

[F. No. F.1/5/2015-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.